न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 143/2024

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. जेठूसिंह पुत्र मूलसिंह 2. गिरधारीसिंह पुत्र मूलसिंह 3. भंवरसिंह पुत्र पदमसिंह 4. ओमसिंह पुत्र पदमसिंह 5. सोहनसिंह पुत्र पदमसिंह 6. दरियाव कंवर पत्नी पदमसिंह (जाति राजपूत, निवासी धोलिया नगर, खेतासर, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर)		1. अनच कंवर तथाकथित पुत्री चैनसिंह पत्नी सवाईसिंह, जाति राजपूत, निवासी मोकमगढ (केतुकला) तहसील सेखाला, जिला जोधपुर 2. लहरकंवर तथाकथित पुत्री चैनसिंह पत्नी स्वरूपसिंह, जाति राजपूत निवासी मोकमगढ (केतुकला) तहसील सेखाला, जिला जोधपुर 3. मोहनकंवर तथाकथित पुत्री चैनसिंह के कायम मुकाम – 3/1 भोमसिंह पुत्र मोहनकंवर पत्नी खेतसिंह जाति राजपूत निवासी रावत नगर पीलवा, तहसील देचू, जिला जोधपुर 4. तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर (ग्रामीण) दिनांक 01.04.2024 राजस्व प्रथम अपील संख्या 78/2023 (2023/39) अनवान अनच कंवर व अन्य बनाम जेठूसिंह वगैरा

उपस्थित–

1. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट्स
2. श्री जगदीश प्रजापत वकील रेस्पो0 1, 2 व 3/1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 4

निर्णय

दिनांक 01.08.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलाण्ट्स ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर (ग्रामीण) द्वारा राजस्व अपील संख्या 78/2023 (2023/39) अनंच कंवर व अन्य बनाम जेठूसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील ओसियां स्थित ग्राम खेतासर के खसरा नं0 42, 193, 213, 218 व 212 की भूमि मूलसिंह व चैनसिंह पि0 मेघसिंह के नाम दर्ज खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार मूलसिंह व चैनसिंह के फौत हो जाने से इनका फौतेदगी नामान्तरकरण सं0 715 दिनांक 26.05.1999 को पदमसिंह, जेठूसिंह, गिरधारीसिंह पि0 मूलसिंह व दरियाव कंवर बेवा मूलसिंह के नाम तहसीलदार ओसियां द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1 से 3–अपीलांट्स–अनच कंवर वगैरा द्वारा अति0 जिला कलेक्टर जोधपुर (ग्रामीण) के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील संख्या 78/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2024 द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 715 निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे स्व0 चैनसिंह व मूलसिंह के प्रथम श्रेणी के सभी विधिक वारिसानों की जांच कर तथा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स–प्रत्यर्थीगण ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम खेतासर के उल्लेखित खसरान की भूमि अपीलार्थीगण के पिता स्व0 मूलसिंह व उनके बड़े भाई स्व0 चैनसिंह की सह–खातेदारी में दर्ज थी। स्व0 मूलसिंह व चैनसिंह के फौत होने पर व चैनसिंह के लाऔलाद फौत होने से, उक्त खसरान की भूमि स्व0 मूलसिंह के वारिसान–अपीलांट्स के नाम जरिये नामान्तरकरण सं0 715 दिनांक 26.5.99 को तहसीलदार ओसियां द्वारा जांच कर स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1 से 3 ने स्वयं को स्व0 चैनसिंह की तथाकथित पुत्रियां बताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अन्दर मियाद शुमार कर लिया गया। अपीलाधीन जैर ना0क0 मृतक खातेदार मूलसिंह व चैनसिंह के वारिसान की जांच कर विधिवत रूप से स्वीकृत किया गया था, जिसमें कोई त्रुटी नही है। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत म्युटेशन की अपील अधीनस्थ न्यायालय में ग्राह्य नही थी, क्योकिं तहसीलदार द्वारा सभी वारिसान की सुनवाई कर विधिवत आदेश पारित किया गया था। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया, जिससे यह साबित होता हो कि वह स्व0 चैनसिंह की वारिसान है एवं रेस्पो0 का वादग्रस्त भूमि में कोई हक या

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हिस्सा हो। ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र के संबंध में दिनांक 26.3.24 को प्रमाण पत्र पेश किया कि स्व0 चैनसिंह पुत्र मेघसिंह के संबंध में विवरण ग्रा0पं0 धोलियानगर में दर्ज नही है, धोलियानगर का गठन सन 2015 में हुआ था। इससे साबित है कि स्व0 चैनसिंह के वारिसान का विवरण ग्रा0पं0 में दर्ज नही है। जबकि ना0क0सं0 715 सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कर पारित किया गया था। उक्त ना0क0 स्वीकृत होने के 21 वर्ष बाद मियाद बाधित अपील पेश की गई, अगर रेस्पो0 स्व0 चैनसिंह की पुत्रियां होती तो चैनसिंह के देहान्त के वक्त ही ग्राम धोलिया नगर आती और चाराजोही करती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इतने वर्षो पश्चात म्युटेशन रिमाण्ड करना न्यायसंगत नही है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट काब्जा काश्त है। ना0क0सं0 715 के पश्चात ना0क0 996 व 997 स्वीकृत किए जा चुके है। रेस्पो0–अपीलांट द्वारा अपनी अपील में स्व0 चैनसिंह की मृत्यु किस दिनांक को हुई नही बताया गया ओर ना ही मृत्यु प्रमाण–पत्र अथवा स्वयं को चैनसिंह की पुत्रियां होने का कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज पेश किया, जिससे यह साबित हो कि रेस्पो0 स्व0 चैनसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिसान है। जबकि अपीलांट्स स्व0 चैनसिंह के भाई मूलसिंह के पुत्र होने का तथ्य ना0क0सं0 715 से पूर्णतया साबित है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 3/1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट्स के पिता स्व0 चैनसिंह व मूलसिंह की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट्स स्व0 चैनसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिसान है। अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 715 में चैनसिंह को लाऔलाद फौत बताकर अपीलांट्स के नाम स्वीकृत करवा लिया गया। रेस्पो0 चैनसिंह की जायंदा पुत्रियां है व चैनसिंह के देहान्त के समय उत्तराधिकारी के रूप में मौजूद थी, परंतु तहसीलदार ओसियां ने मृतक खातेदार चैनसिंह के वारिसान की कोई जांच नही की और ना ही कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः उक्त ना0क0 विधिविरूद्ध व प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत धोलिया नगर द्वारा दिनांक 20.3.24 को मृतक चैनसिंह का वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार उनकी 3 पुत्रियां–रेस्पो0 बतायी गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह पाया गया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर (ग्रामीण) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर जोधपुर (ग्रामीण) द्वारा राजस्व अपील सं0 78/2023 (2023/39) में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2024 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर